

2023/247

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128	180/23	27/9/2023	19/05/24	

अनवान

श्री श्री धामु देवी W/o श्री विशान
जाति गुर्जर
निवासी सतकुडिया

श्री प्रमू 8/0 मोतीलाल जाति
श्री ल
निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री रतन सिंह युवावत

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज्ञ अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

विजौलियां

दाय

वनाग

पत्र

फर्द नम्बर

111-128

नम्बर

180

/ 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/09 /2023	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 4/10/2023 को पेश हो।</p>	
4/10/23	<p>उपखण्ड अधिकारी विजौलियां</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी 1 की तलबी भ्रष्ट। विपक्षी खेरुया (23) की बार तामील प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी व का फोटो होना पाया गया। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18/10/23 को पेश हो।</p>	
8/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 22/10/23 को वास्ते तलबी पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी</p>	
2/11/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 01/11/24 को वास्ते तलबी पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी</p>	
10/1/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 21/1/24 को वास्ते तलबी पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी</p>	

21/2/24

पत्रावली चेरा डूरी अधिकारता जारी उपरिष्ठ,
पत्रावली वास्तु तदानी भागान्त दिनांक 26/3/24
को चेरा डूरी

(Signature)

26/3/24

पत्रावली चेरा डूरी अधिकारता जारी उपरिष्ठ,
व्यपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दोरे पर ही प्र...
दिनांक 21/4/24 को वास्ते उपरिष्ठ...

उप खण्ड अधिकारी

9/4/24

पत्रावली चेरा डूरी अधिकारता जारी उपरिष्ठ,
विपक्षीयता के विरुद्ध पूर्व में ही एवं
पक्षीय भांशेरा पारित किए गए थे। पत्रावली
वास्ते भांशेरा/निर्णय आगामी दिनांक 14/5/24
को चेरा डूरी

उप खण्ड अधिकारी

बिज्ञौलियाँ जिला-भीलवाडा

14/5/24

पत्रावली चेरा डूरी अधिकारता जारी उपरिष्ठ,
पत्रावली में निर्णय/भांशेरा पारित किए गए
एवं तदखिलदाट बिज्ञौलियाँ को पारित के लिए
तदरीर जारी की गयी पत्रावली फॉरवर्ड शुभार
होकर, नम्बर से मत होकर दाखिल कर
हो।

उप खण्ड अधिकारी

बिज्ञौलियाँ जिला-भीलवाडा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 180/23

तारीख दायर 27/9/23

- 1- धापु देवी पत्नि श्रीकिशन जाति गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी सतकुडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- मनभर देवी पत्नि रामरतन जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सतकुडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—-प्रार्थीगणगण

बनाम्

- 1- प्रभुलाल पिता मोतीलाल जाति भील, उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- शांति देवी पत्नि बंशीलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी पथिक नगर 1 बस स्टेण्ड के पास बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- शिवलाल पिता बंशीलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी पथिक नगर 1 बस स्टेण्ड के पास बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—-विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:—आदेश:—

दिनांक 14/5/24

प्रार्थनापत्र प्रार्थीगणगण धापु देवी, मनभर देवी ने जरिये अभिभाषक श्री रतन सिंह प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम रेसुन्दा पटवार हल्का रेसुन्दा, भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कास्यां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 29 पर आराजी संख्या 288/19 रकबा 1.3031 हैक्टेयर, आराजी संख्या 305/19 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, आराजी संख्या 306/19 रकबा 1.2950 हैक्टेयर, आराजी संख्या 330/19 रकबा 1.1412 हैक्टेयर कुल किता 04 रकबा 4.3868 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के अवलोकर से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काशतकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम रेसुन्दा पटवार हल्का रेसुन्दा, भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कास्यां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 29 पर आराजी संख्या 288/19 रकबा 1.3031 हैक्टेयर, आराजी संख्या 305/19 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, आराजी संख्या 306/19 रकबा 1.2950 हैक्टेयर, आराजी संख्या 330/19 रकबा 1.1412 हैक्टेयर कुल किता 04 रकबा 4.3868 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर 27/9/23

प्रकरण संख्या :- 180/23

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 180/23 प्रत्थरगढी बाबत्।

- 1- धापु देवी पत्नि श्रीकिशन जाति गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी सतकुडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
- 2- मनभर देवी पत्नि रामरतन जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सतकुडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
-----प्रार्थीगणगण

बनाम्

- 1- प्रभुलाल पिता मोतीलाल जाति भील, उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
- 2- शांति देवी पत्नि बंशीलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी पथिक नगर 1 बस स्टेण्ड के पास बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
- 3- शिवलाल पिता बंशीलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी पथिक नगर 1 बस स्टेण्ड के पास बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

-----विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम रेसुन्दा पटवार हल्का रेसुन्दा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कास्यां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) में ख्वाता संख्या 29 पर आराजी संख्या 288/19 रकबा 1.3031 हैक्टेयर, आराजी संख्या 305/19 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, आराजी संख्या 306/19 रकबा 1.2950 हैक्टेयर, आराजी संख्या 330/19 रकबा 1.1412 हैक्टेयर कुल किता 04 रकबा 4.3868 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जा रिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कास्यां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मोकें पर प्रार्थीगण अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा